कागजात प्रस्तुत करने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

(राज्य सभा/लोक सभा के पटल पर प्रस्तुत किए जाने हेतु)

संसद के दोनों सदनों में वर्ष 2016-17 के लिए राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम (एनएफ़डीसी) की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को प्रस्तुत करने में विलंब वित्त वर्ष 2016-17 के लिए एनएफ़डीसी की वार्षिक रिपोर्ट के मुद्रण तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा सरकारी समीक्षा के अनुमोदन में देरी के कारण हुआ।

अधिप्रमाणित

राज्यवर्धन

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (सेवानिवृत्त)

सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़
सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री

राज्य सभा/लोक सभा पटल पर प्रस्तुत करने हेतु कागजात

नई दिल्ली

अधिप्रमाणित

दिनांक

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (सेवानिवृत्त)
सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
कर्नल राज्यवर्धन राठौड़
सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

वर्ष 2016-17 के लिए राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम के कार्यकरण पर सरकार द्वारा समीक्षा

1. राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम लिमिटेड (एनएफ़डीसी) की स्थापना वर्ष 1975 में भारत सरकार द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग के संगठित, प्रभावी एवं समन्वित विकास हेतु योजना बनाने तथा उसे प्रोत्साहन प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी। वर्ष 1980 में एनएफ़डीसी के साथ पूर्ववर्ती फ़िल्म वित्त निगम (एफएफसी) तथा भारतीय चलचित्र निर्यात निगम (आईएमपीईसी) के विलनीकरण द्वारा एनएफ़डीसी की पुनर्रचना की गई।

2. कंपनी "विभिन्न भारतीय भाषाओं में फ़िल्म निर्माण" शीर्षक वाली सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की 12वीं पंचवर्षीय योजनागत स्कीम का कार्यान्वयन करती है जिसके अनुसार एनएफ़डीसी द्वारा फिल्म निर्माण संबंधी मौजूदा उप-नियमों के अनुसार फिल्मों का निर्माण/सह-निर्माण किया जाता है। तथापि, पिछले 4 वर्षों में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और एनएफडीसी के बीच वित्तीय व्यवस्था की समीक्षा के कारण केवल एक करोड़ रु. जारी किए गए है और ऐसा महसूस किया जाता है कि फिल्मों के उत्पादन में कमी आई है। एनएफडीसी ने वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान अपनी मुख्य गतिविधि यानि फीचर फिल्म निर्माण पर आय के अपने स्रोत से कोई भी धन खर्च नहीं किया है। यह भी ध्यान में आया है कि पिछले वर्षों में एनएफ़डीसी ने 'विभिन्न भारतीय भाषाओं में फ़िल्म निर्माण' योजना के तहत फिल्मों के निर्माण के लिए निर्धारित प्रावधानों का पालन नही किया है। सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) से प्राप्त एमओयू प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट वर्ष 2016-17 के अनुसार, एनएफडीसी की स्थिति "प्रारंभिक बीमार" सीपीएसई की है।

3. एनएफ़डीसी को वर्ष 2015-16 के दौरान 5.18 करोड़ रु., 2014-15 के दौरान 8.56 करोड़ रु., 2013-14 के दौरान 3.21 करोड़ रु. का नुकसान हुआ है। वर्ष 2016-17 के दौरान एनएफ़डीसी ने 7 लाख रु. का मामूली मुनाफा कमाया है। एनएफडीसी द्वारा अर्जित मुनाफा फ़िल्म निर्माण के अपने प्राथमिक उद्देश्य के कारण नहीं है बल्कि यह 2015 में भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन (ईएमए) नीति की बहाली के कारण है जो कि डीएवीपी का प्राथमिक उद्देश्य है। एनएफ़डीसी को अब तक 23 करोड़ रु. का संचित नुकसान हुआ है।

4. वर्ष 2016-17 के दौरान, एनएफडीसी ने सरकार की योजनागत स्कीम के तहत निर्मित 2 फिल्मों - वीस मंजे वीस (मराठी) और द्वीप शहर (हिंदी) का मंचीय प्रदर्शन किया। एनएफ़डीसी की फिल्में एनएफ़डीसी की वीओडी www.cinemaofindia.com पर प्रति फ़िल्म भुगतान तथा मासिक एवं वार्षिक अंशदान आधार पर वैश्विक दर्शकों के लिए उपलब्ध है। एनएफ़डीसी कैटेलॉग तथा नई फिल्मों के सैटेलाइट सिंडिकेशन तथा प्रमुख वीओडी प्लेटफार्म पर शीर्षकों के मुद्रीकरण के लिए चैनलों/प्रसारणकर्ताओं के साथ सहयोग कर रहा है।

5. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2015 में राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम (एनएफ़डीसी) में फ़िल्म सुविधा कार्यालय (एफएफओ) की स्थापना भारत में विदेशी फ़िल्म निर्माताओं द्वारा फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने और तत्संबंधी सुविधा प्रदान करने के लिए की। यह एकल खिड़की सुविधा और अनापत्ति कार्यतंत्र के रूप में कार्य करता है जो भारत में फिल्मांकन को आसान बनता है, साथ ही फ़िल्म-अनुकूल पारिस्थिकी तंत्र बनाने और देश को फिल्मांकन स्थल के रूप में बढ़ावा देने का प्रयास करता है। एनएफ़डीसी को विदेशी फ़िल्म निर्माताओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन की सुविधा के लिए और शूटिंग स्थानों पर जानकारी प्रसारित करने के साथ-साथ भारतीय फ़िल्म उद्योग के भीतर निर्माण और पश्च निर्माण के लिए उपलब्ध प्रतिभा, संसाधनों और सुविधाओं के बारे में जानकारी देने के लिए एक वेबसाइट स्थापित करने का भी अधिदेश प्रदान किया गया है। तथापि, यह देखा गया है कि एफएफओ के माध्यम से किए गए जनादेश और पहल के अनुसार एनएफ़डीसी ने अधिदेश के अनुसार प्रगति नहीं की है और एफएफओ एवं वेबसाइट के ज़रिए की गई पहलों को एनएफ़डीसी द्वारा विकसित किया जाना है।

6. एनएफ़डीसी का फ़िल्म बाज़ार जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से जारी की गई निधियों से आयोजित किया जाता है, दक्षिण एशिया के उभरते और स्थापित फ़िल्म निर्माताओं को विभिन्न वितरकों, निर्माण घरानों, त्योहार प्रोग्रामर, फ़िल्म क्यूरेटर, बिक्री एजेंटों तथा अन्य महत्वपूर्ण बिरादरी हितधारकों के लिए अपने कार्य को साझा करने तथा उन्हें प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करता है। वर्ष 2016 में 36 देशों के 1206 प्रतिनिधियों ने फ़िल्म बाज़ार के 11वें संस्करण में भाग लिया। इस कार्यक्रम को अब दक्षिण एशिया की इंडी फिल्मों (समारोहों में भागीदारी सहित) को लॉन्च करने, उनका वित्त पोषण करने, उनका सह-निर्माण करने और उनका वितरण करने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में देखा जा सकता है।